



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1948 (श0)
(सं0 पटना 1262) पटना, बुधवार, 7 अक्टूबर 2026

कृषि विभाग
(माप एवं तौल/विधिक माप विज्ञान)

अधिसूचना
6 अक्टूबर 2026

सं० मा०-तौ० (के० प्रयोग०)-06/2026-538—दिनांक-30.09.2026 को मंत्री परिषद् की बैठक में मद संख्या-03 में सम्मिलित बिहार विधिक माप विज्ञान (राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र) नियमावली, 2026 को स्वीकृति प्रदान है। विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 53 की उप-धारा (1) एवं उप-धारा (2) में खण्ड 'ड.' द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्र सरकार के साथ परामर्श के पश्चात राज्य सरकार द्वारा बिहार विधिक माप विज्ञान (राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र) नियमावली, 2026 बनाई गयी है।

अध्याय-1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।—

- (1) यह नियमावली "बिहार विधिक माप विज्ञान (GATC) नियमावली, 2026" कहा जा सकेगा।
- (2) इनका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ :- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ।—

- (1) (क) "अधिनियम" से तात्पर्य विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) से है;
(ख) "राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र" (Government Approved Test Centre) का अर्थ उस व्यक्ति जिसमें निर्माता, मरम्मतकर्ता एवं विक्रेता भी सम्मिलित हैं जिसे इन नियमों में निर्दिष्ट बाट या माप के सत्यापन का कार्य करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

- (ग) “प्रधान अधिकारी” का अर्थ उस अधिकारी से है जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का प्रभारी है;
- (घ) “अनुसूची” का अर्थ इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची से है।
- (2) यहाँ प्रयुक्त और इन नियमों में परिभाषित नहीं किए गए लेकिन अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उस अधिनियम में क्रमशः उन्हें दिया गया है।

अध्याय— II

3. सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा सत्यापन I—

- (1) प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट बाट और मापों का सत्यापन या तो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा या विधिक माप विज्ञान अधिकारियों, जो विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 14 के तहत नियुक्त किए गए हैं, द्वारा किया जाएगा।
- (2) कोई भी व्यक्ति विधिक माप विज्ञान (GATC) नियमावली, 2013 या केन्द्र सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अनुसार बाट और माप के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकता है।
- (3) ऐसे सभी “ राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र” पुरी तरह से बिहार राज्य सरकार के नियंत्रण में होंगे।

अध्याय— III

4. सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र से संबंधित सामान्य प्रावधान I—

- (1) मान्यता प्राप्त “ राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्रों” की सूची समय-समय पर अधिसूचित की जाएगी।
- (2) इन नियमों के तहत मान्यता प्राप्त “सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र” इन नियमों में निर्दिष्ट और विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 में दी गई विशिष्टताओं तथा निदेशक, विधिक माप विज्ञान द्वारा समय-समय पर दी गई सलाह के अनुसार बाट या माप का सत्यापन करेंगे।
- (3) “राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र” विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 में निर्दिष्ट मानक बाट या माप और निदेशक, विधिक माप विज्ञान या नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, बिहार द्वारा सुझाये गए अन्य उपकरणों और यंत्रों को बनाए रखेंगे।

5. सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र की मान्यता I—

- (1) यहाँ निर्दिष्ट बाट या माप के सत्यापन के लिए इन नियमों के तहत मान्यता प्राप्त करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति जिसमें निर्माता, मरम्मतकर्ता एवं विक्रेता भी सम्मिलित हैं द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट प्रपत्र में अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग या नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, बिहार को एक आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- (2) आवेदन केवल उक्त प्रयोगशाला के प्रधान अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- (3) (1) नियंत्रक या उनके द्वारा अधिकृत विधिक माप विज्ञान अधिकारी इसके अनुमोदन के लिए कोई सिफारिश करने से पूर्व परीक्षण केन्द्र के परिसर का निरीक्षण 7 (सात) कार्य दिवस के अन्दर करेंगे, जिसमें इसके संचालन क्षेत्र का विनिर्देशन शामिल है।
- (2) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के अनुमोदन की सिफारिश करते समय नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, बिहार निम्नलिखित पर विचार करेंगे।
 - (क) भूमि और भवन की उपलब्धता और पहुँच ;
 - (ख) मापक उपकरणों, परीक्षण सुविधाओं और अन्य बुनियादी ढांचे की पर्याप्तता ;
 - (ग) तकनीकी रूप से योग्य मानवबल की उपलब्धता ;
 - (घ) ग्राहकों को कुशल और ससमय पर सेवा प्रदान की क्षमता ;
 - (ङ) द्वितीय मानक प्रयोगशाला या नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान द्वारा निर्धारित किसी अन्य एजेंसी द्वारा उपकरणों का समय-समय पर सत्यापन करवायेंगे ;

- (च) कर्मचारियों को नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, बिहार द्वारा नामित संस्थानों में प्रशिक्षित किया जायेगा जिसका खर्च संबंधित सरकार द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण केन्द्र वहन करेंगे;
- (छ) कोई अन्य कारक, जो नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, बिहार की राय में सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के उचित कामकाज को प्रभावित करेगा ;
- (ज) स्थापित करने की शर्तें ;
- (i) गैर मानक बाट या माप का सत्यापन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा नहीं किया जायेगा।
- (ii) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र उन बाट और मापों का सत्यापन करेगा जो सत्यापन के आवश्यक शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें यह इंगित हो ;
- (क) निर्माता या आयातकर्ता या विक्रेता या उपयोगकर्ता का नाम और पूरा पता।
- (ख) उस कारखाने या परिसर का स्थान जिसमें ऐसे बाट या माप का निर्माण या आयात किया जाता है या उपयोग किया जाना है।
- (ग) सत्यापित किये जाने वाले बाट या माप की अधिकतम और न्यूनतम 'e' या 'd' मान, सटीकता वर्ग (accuracy class)।
- (iii) सत्यापन के बाद राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र सत्यापन का प्रमाण पत्र जारी करेगा।
- (iv) सत्यापन का प्रमाण पत्र विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 में निर्दिष्ट अवधि के लिए वैध रहेगा और निर्धारित शुल्क के भुगतान पर ऐसी अवधि के लिए पुनः सत्यापित किया जायेगा।
- (v) प्रत्येक "राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र" कैलेंडर वर्ष के अंत में राज्य सरकार को सत्यापित बाट और मापों की संख्या का एक विवरण प्रस्तुत करेगा।
- (झ) योग्यताएँ — सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के प्रधान अधिकारी या किसी कर्मचारी की योग्यता विधिक माप विज्ञान अधिकारी के लिए विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 में निर्दिष्ट योग्यता के अनुसार होगी;
- (ञ) अनुभव — राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के प्रधान अधिकारी या किसी कर्मचारी की योग्यता विधिक माप विज्ञान के क्षेत्र में कम से कम तीन साल करने कार्य अनुभव होना चाहिए।
- (4) कृषि विभाग, बिहार के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र की मंजूरी देने हेतु सक्षम प्राधिकार होंगे, जो नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, बिहार की सिफारिश पर ऐसी मंजूरी देंगे।
- (5) सक्षम प्राधिकार उप-नियम (4) के तहत एक वर्ष के लिए अनुमोदन प्रदान करेगा और उसके बाद इसे एक बार में अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया जाएगा।
- (6) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान आसान पहचान और रिकॉर्ड के लिए प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को एक विशिष्ट कोड संख्या जारी करेगा।
- (7) पात्रता शर्तों को पुरा न करने के मामले में नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान आवेदन को 15 (पन्द्रह) कार्य दिवस के अन्दर अस्वीकार कर देगा और आवेदक को एक लिखित सूचना भेजेगा।
- (8) उप-नियम (7) के तहत आदेशों से व्यथित कोई भी व्यक्ति 30 (तीस) कार्य दिवस के अन्दर राज्य सरकार से अपील कर सकता है।
- (9) किसी भी "राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र" को दिए गए अनुमोदन प्रमाण-पत्र को राज्य सरकार द्वारा निलंबित किया जा सकता है यदि सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र इन नियमों में निर्दिष्ट किन्हीं नियमों और शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहता है;

बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताओ अवसर दिए बिना ऐसा कोई निलंबन नहीं किया जाएगा;

आगे बशर्ते कि ऐसे नियमों और शर्तों का अनुपालन होने पर निलंबन वापस ले लिया जाएगा।

- (10) नियंत्रक या उसका प्राधिकृत अधिकारी आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का दौरा कर सकता है और प्रधान अधिकारी बाट और माप के सत्यापन के संबंध में रिकॉर्ड पेश करने सहित उद्देश्य के लिए निरीक्षण की अनुमति देगा और सभी सहायता प्रदान करेगा।
- (11) प्रधान अधिकारी नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, बिहार को उनके द्वारा सत्यापित बाट और मापों, संकलित शुल्क, प्रत्येक जाँच में लगे समय और आवश्यकतानुसार अन्य प्रासंगिक जानकारी के संबंध में एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- (12) प्रधान अधिकारी, बाट और माप का सत्यापन करते समय विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 में निर्धारित प्रक्रिया अपनाएगा।
- (13) प्रदान किए गए अनुमोदन प्रमाण पत्र को नियंत्रक द्वारा रद्द किया जा सकता है यदि परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उससे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के रूप में ठीक से काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।
बशर्ते कि सुनवाई का अवसर दिए बिना अनुमोदन का कोई प्रमाण-पत्र रद्द नहीं किया जाएगा।
- (14) जहाँ उप-नियम (4) के तहत अनुमोदन का प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है या उप-नियम (9) के तहत निलंबित किया गया है या उप-नियम (13) के तहत रद्द किया गया है, नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, बिहार यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी कार्रवाई की सूचना संबंधित विधिक माप विज्ञान अधिकारियों को दे दी गई है।
- (15) सक्षम प्राधिकार "राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र" को तीसरे पक्ष के दायित्व बीमा (third party liability insurance) लेना आवश्यक होगा, जो ऐसे सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा किसी भी चूक या सरकारी निर्देशों के उल्लंघन के कारण होने वाले नुकसान के किसी भी दावे को कवर करने के लिए पर्याप्त हो।

अध्याय— IV

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का प्रमाणपत्र

6. प्रधान अधिकारी के कर्तव्य।— परीक्षण केन्द्र के प्रधान अधिकारी की निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ हैं, अर्थात्,

- (i) परीक्षण केन्द्र को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित और संचालित करना;
- (ii) यह सुनिश्चित करना कि परीक्षण केन्द्र के कर्मचारी अपने कर्तव्यों को स्वतंत्र रूप से पालन करें;
- (iii) परीक्षण केन्द्र के संचालन की समाप्ति की सूचना नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, बिहार को देना;
- (iv) समय-समय पर जारी नियमों और निर्देशों के अनुसार परीक्षण उपकरणों की सटीकता बनाए रखना;
- (v) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा जारी परीक्षण और प्रमाण पत्रों का उचित रिकॉर्ड बनाए रखना;
- (vi) ग्राहकों की शिकायतों को उचित तरीके से दर्ज करना और उनका निवारण करना;
- (vii) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, बिहार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना;
- (viii) केवल विनिर्देशों के अनुरूप बाट या माप पर मुहर लगाना;
- (ix) सत्यापन मुहरों को धोखाधड़ी वाले उपयोग से पर्याप्त रूप से सुरक्षित रखना;
- (x) सत्यापन और मुहर लगाने के लिए प्राप्त बाट और माप को उचित सत्यापन के बाद पंद्रह दिनों के भीतर "राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र" द्वारा वापस कर दिया जाएगा।

7. सत्यापन या पुनः सत्यापन के लिए शुल्क ।—

- (1) बाट या माप के सत्यापन या पुनः सत्यापन के लिए परीक्षण केन्द्र को देय शुल्क पाँचवी अनुसूची में निर्दिष्ट एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर विधिक माप विज्ञान (GATC) नियमावली में संशोधन के अनुसार होगा।
- (2) प्रत्येक “राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र” को राज्य का हिस्सा, जैसा कि पाँचवी अनुसूची में निर्दिष्ट सत्यापन शुल्क एवं बिहार विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2014 के अनुसार देय अतिरिक्त शुल्क का 25% (पच्चीस प्रतिशत) है, एक सप्ताह के अन्दर नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान द्वारा निर्दिष्ट सरकारी शीर्ष में जमा करना होगा।
- (3) प्रत्येक “राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र” के बाट माप के सत्यापन/पुनः सत्यापन के लिए बिहार विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2014 में निर्धारित स्व-स्थान सत्यापित मशीनों (In situ) के शुल्क का 25% (पच्चीस प्रतिशत) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सरकारी शीर्ष में जमा करना होगा।
- (4) कोई भी बाट या माप सत्यापन के वक्त गलत और मरम्मत योग्य पाया जाता है, उसे आवश्यक मरम्मत के लिए उपयोगकर्ता को लौटा दिया जायेगा और मरम्मत के बाद बाट या माप को सत्यापन शुल्क के भुगतान पर सत्यापन के लिए फिर से स्वीकार किया जा सकता है।

8. सत्यापन का चिन्ह ।—

- (1) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र बाट या माप का मेट्रोलॉजिकल मूल्यांकन करने के बाद और इस बात से संतुष्ट होने पर कि वह अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप है, उस पर मुहर लगाएगा और सत्यापन का एक प्रमाण पत्र भी जारी करेगा।
- (2) सत्यापन चिन्ह में निम्नलिखित विवरण होंगे; अर्थातः—
 - (i) अर्ध-वृत्त (semi-circle) के उपरी आधे हिस्से में शब्द “BIH” और परीक्षण केन्द्र को सौंपा गया कोड नम्बर;
 - (ii) अर्ध-वृत्त के निचले आधे हिस्से में वर्ष की तिमाही के लिए कोड अक्षर और वर्ष के लिए दो अंक।
- (3) सत्यापन के प्रमाण के रूप में परीक्षण केन्द्र द्वारा सत्यापन का एक प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा।
- (4) परीक्षण केन्द्र प्रत्येक बाट या माप के लिए अलग से सत्यापन प्रमाण पत्र जारी करेगा, जिससे के प्रमाण पत्र व्यक्तिगत उपकरण के अनुरूप हो।

9. रिकॉर्ड का निरीक्षण ।— प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र उनके द्वारा किए गए बाट या माप के मूल्यांकन के रिकॉर्ड पाँच कैलेंडर वर्षों तक रखेगा। इन रिकॉर्ड्स को परीक्षण केन्द्र द्वारा नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, बिहार या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी के समक्ष निर्देश दिए जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा।

10. सत्यापन का स्थान ।— परीक्षण केन्द्र या तो अपने प्राधिकृत परिसर में या जिले की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर बाट या माप का सत्यापन करेगा और ऐसे सत्यापन का विस्तार राज्य के किसी भी हिस्से में कर सकता है जिसमें राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र संचालित होता है।

11. सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का पर्यवेक्षण ।— नियंत्रक या कोई अन्य अधिकृत विधिक माप विज्ञान अधिकारी समय-समय पर परीक्षण केन्द्र का दौरा कर यह जाँच कर सकता है कि क्या सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्धारित प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुसार चलाए जा रहे हैं।

12. दायित्व ।— परीक्षण केन्द्र के लिए जिम्मेदार प्रधान अधिकारी किसी भी नुकसान, क्षति, कानूनी दावों के लिए सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा।

13. राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र प्रमाण पत्र की विशय वस्तु ।— सरकार द्वारा जारी अनुमोदन के प्रत्येक प्रमाण पत्र में निम्नलिखित जानकारी शामिल होगी —

(1) (क) प्रमाण पत्र की संख्या ;

- (ख) बाट और माप का नाम जिसके लिए सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को मंजूरी दी गई है;
- (ग) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को सौंपा गया चिन्ह या कोड ;
- (घ) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के बारे में एक संक्षिप्त विवरण ;
- (ङ) विशेष शर्तें, यदि कोई हो ;
- (च) वह अवधि जिसके लिए सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को मंजूरी दी गई है ;
- (छ) बाट या माप के सत्यापन की सीमा (range) ;
- (ज) उपभोक्ता निवारण के लिए सम्पर्क नंबर ;

(2) जहाँ कोई बाट या माप विशेष उपयोग के लिए अभिप्रेत है, ऐसे बाट या माप के संबंध में अनुमोदन का प्रमाण पत्र उस विशेष उपयोग को इंगित करेगा।

(3) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, बिहार आधिकारिक राजपत्र में सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र प्रमाण पत्र प्रकाशित करने की आवश्यक कार्यवाई करायेगा।

14. सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को चिन्ह ।— सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को सौंपे गये चिन्ह में राज्य पहचान अर्थात् BIH जारी होने वाले वर्ष के अंतिम दो अंक (उदाहरण के लिए 11) और सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को सौंपा गया कोड नंबर शामिल होगा।

15. सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के प्रमाण पत्र का प्रतिसंहरण (Revocation) ।—

(1) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है यदि नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, बिहार की सिफारिश पर राज्य सरकार संतुष्ट है कि सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र अब अधिनियम के तहत बनाये गये नियमों में निर्दिष्ट प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है या विशेष रूप से समय-समय पर नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, बिहार द्वारा दिये गये निर्देशों का उल्लंघन करता है ;

बशर्ते कि ऐसे प्रमाण पत्र को तब तक रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे प्रमाण-पत्र धारक को प्रस्तावित कार्यवाई के विरुद्ध कारण बताने का अवसर न दिया गया हो।

(2) जहाँ सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया है, उस सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा सत्यापन कार्य तुरंत रोक दिया जायेगा।

बशर्ते कि जहाँ, ऐसे निरीक्षण पर, यह पाया जाता है कि किसी ऐसे बाट या माप का सत्यापन किया गया है, जिसे नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, बिहार आदेश द्वारा ऐसे बाट या माप के उपयोग को रोक सकता है और अन्य उचित दंडात्मक कार्यवाई शुरू कर सकता है।

(3) अनुमोदन प्रमाण पत्र के प्रतिसंहरण या निलंबन के प्रत्येक आदेश को विधिवत अधिसूचित किया जायेगा।

16. सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के प्रमाण पत्र का निलंबन ।—

(1) निर्दिष्ट बाट और मापों के सत्यापन के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रमाण पत्र धारक की ओर से निम्नलिखित चूक या विफलता की स्थिति में निलंबित किया जा सकता है ;

- (i) उन बाटों या मापों का सत्यापन करना जिनसे प्रमाण पत्र संबंधित है, या
- (ii) अधिनियम और उसके तहत बनाये गये नियमों में निर्दिष्ट नियमों या मानकों के अनुरूप सत्यापन न करना या
- (iii) प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन न करना —

बशर्ते कि ऐसा कोई निलंबन प्रमाण पत्र धारक को प्रस्तावित कार्यवाई के विरुद्ध कारण बताने का अवसर दिये बिना नहीं किया जायेगा।

(2) जहाँ किसी प्रमाण पत्र को उप-नियम (1) के तहत निलंबित कर दिया गया है, निलंबन का आदेश तब तक रद्द नहीं किया जायेगा जब तक कि उस चूक या विफलता का अनुपालन न कर लिया गया हो जिसके लिए ऐसा निलंबन किया गया था और अपराध को शमन

(Compound) करने के लिए राशि सरकार के पास उसी प्रपत्र में जमा नहीं कर दी गई हो जो सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के अनुमोदन हेतु आवेदन करने के लिए निर्धारित है।

17. **प्रमाण पत्र का नवीकरण** ।— सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को दी गई स्वीकृति केन्द्र के संतोषजनक कामकाज के अधीन नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, बिहार द्वारा बाद में एक बार में पाँच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नवीकृत नहीं की जा सकती है।
18. **सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र में बाट या माप आवेदन के लिए जमा किया जाने वाला शुल्क** ।—
 - (1) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के अनुमोदन की माँग करने वाले आवेदक द्वारा प्रति बाट या माप एक लाख रुपये का शुल्क और सुरक्षा जमा (Security Deposit) के रूप में एक लाख रुपये जमा किया जायेगा।
 - (2) शुल्क या तो डिमाण्ड ड्राफ्ट या ऑनलाईन भुगतान मोड द्वारा या सरकार द्वारा निर्दिष्ट रूप में जमा किया जायेगा।
 - (3) अनुमोदन के लिए समान शुल्क राशि नवीकरण या मान्यता के समय प्रत्येक उपकरण के संबंध में एक वर्ष की अवधि के लिए देय होगी।
19. **कैलेंडर वर्ष के दौरान सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के मूल्यांकन या पुनः मूल्यांकन या निरीक्षण पर व्यय** ।— परिवहन और आवास सहित सभी खर्च, अधिकारी (अधिकारियों) की पात्रता के अनुसार और सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के मूल्यांकन या पुनः मूल्यांकन या अनिवार्य वार्षिक निरीक्षण के लिए सुविधा और सहयोग प्रदान करने में होने वाला व्यय आवेदक द्वारा वहन किया जायेगा।
20. **अपराधों का भामन (Compounding)** ।— जहाँ यह पाया जाता है कि किसी भी सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र ने धारा-48 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रावधानों का उल्लंघन किया है, तो उसे पहले अपराध के लिए पचास हजार रुपये की राशि और प्रत्येक उत्तरोत्तर वाद के उल्लंघन के लिए पचहत्तर हजार रुपये की राशि द्वारा वाद शमन (Compounding) किया जा सकता है।

“प्रथम अनुसूची”

[देखें नियम 3 का उप-नियम (1)]

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा सत्यापित बाट और माप

निम्नलिखित बाट और माप सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा सत्यापित किए जाएंगे :-

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. जल मीटर | 12. गैस मीटर |
| 2. रक्तचापमापी | 13. ऊर्जा मीटर |
| 3. क्लिनिकल थर्मामीटर | 14. नमी मीटर |
| 4. स्वचालित रेल वेब्रिज | 15. वाहनों के लिए गति मीटर |
| 5. मापन टेप | 16. श्वास विश्लेषक |
| 6. सटीकता वर्ग III (150 किग्रा तक) के गैर-स्वचालित तौल उपकरण | 17. बहुआयामी मापक यंत्र |
| 7. सटीकता वर्ग III के गैर-स्वचालित तौल उपकरण | 18. फ्लो मीटर |
| 8. लोड सेल | 19. पेट्रोल/डीजल डिस्पेंसर |
| 9. बीम स्केल | 20. सीएनजी डिस्पेंसर |
| 10. काउंटर मशीन | 21. एलपीजी डिस्पेंसर |
| 11. सभी श्रेणियों के बाट | 22. एलएनजी डिस्पेंसर |
| | 23. हाइड्रोजन डिस्पेंसर |

“द्वितीय अनुसूची”**[देखें नियम 5 का उप-नियम (1)]****सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र के अनुमोदन के लिए आवेदन**

- (1) आवेदक का पूरा नाम और पूर्ण पता;
- (2) उस बाट या माप का नाम जिसके लिए सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र हेतु आवेदन किया गया है;
- (3) आवेदक के प्रासंगिक क्षेत्र में अनुभव का विवरण;
- (4) संगठनात्मक संरचना का विवरण;
- (5) प्रधान अधिकारी और अन्य तकनीकी कर्मचारियों की योग्यता;
- (6) उपलब्ध मानकों का विवरण और आवेदक/केंद्र के पास उपलब्ध अन्य परीक्षण सुविधाओं का विवरण;
- (7) प्रयोगशाला की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की प्रतिलिपि, यदि उपलब्ध हो;
- (8) डिमांड ड्राफ्ट का विवरण;
- (9) अधिकार क्षेत्र/क्षेत्र जिसके लिए आवेदन किया गया है;
- (10) उपभोक्ता शिकायत संख्या।

“तृतीय अनुसूची”**[देखें नियम 8]****सत्यापन का प्रमाणपत्र**

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र (नाम और पता).....

संख्या.....

अधिकारी का नाम.....

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने आज निम्नलिखित बाटों, मापों आदि का सत्यापन किया और मुहर लगाई/अस्वीकार किया।

संबंध रखने वाले (Belonging to).....स्थान (Locality).....

मात्रा (Quantity)	मूल्यवर्ग (Denomination)		तौल उपकरण (Weighing Instruments)				मापक यंत्र (Measuring Instruments)	सत्यापन शुल्क रु0 पैसे	कैरिज कन्वेयंस समायोजन प्रभार आदि
	बाट (Weight)	माप (Measures)	क्षमता (Capacity)	वर्ग (Class)	निर्माता (Quantity)	प्रकार (Type)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

कुल रु0.....मनी रसीद संख्या.....दिनांक.....के माध्यम से जमा किए गए।

द्वारा मरम्मत/द्वारा उपयोग

अगला सत्यापन देय तिथि.....

.....हस्ताक्षर
प्रधान अधिकारी

नोट:— अस्वीकृत बाटों, मापों आदि के मामले में, प्रधान अधिकारी प्रत्येक आइटम के विरुद्ध अस्वीकृति के कारणों का उल्लेख करते हुए अलग से अस्वीकृति प्रमाण पत्र देगा।

“चतुर्थ अनुसूची”

[देखें नियम 14]

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र का प्रमाणपत्र

बिहार सरकार

नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र के अनुमोदन का प्रमाणपत्र

[विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 24 के तहत]

सं० WM—.....(1)/2026

दिनांक, पटना—.....2026

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स.....(सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र का नाम और पता) को(स्थान/जिले का नाम) के लिए निम्नलिखित बाटों और मापों को उनकी सीमाओं के साथ सत्यापित करने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र के रूप में अनुमोदित किया गया है : (i)..... (ii).....
(iii).....

प्रमाणपत्र संख्या: GOI/GOVERNMENT APPROVED TEST CENTRE/----- (राज्य कोड के दो अंक)/2013/

वैधता अवधि —.....

नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, बिहार

प्रतिलिपि : विधिक माप विज्ञान अधिकारियों, बिहार को सूचनार्थ।

नोट: उपभोक्ता शिकायत के मामले में कृपया संपर्क करें.....”

"पाँचवीं अनुसूची"

[देखें नियम 7 का उप-नियम (1)]

सत्यापन या पुनः सत्यापन के लिए परीक्षण केंद्र को देय शुल्क

क्र० सं०	वस्तु (Item)	सत्यापन शुल्क (रु. में...../—)	राज्य का हिस्सा
1	जल मीटर	(i) घरेलू जल मीटर के लिए 250.00 रुपये (ii) वाणिज्यिक जल मीटर के लिए 1000.00 रुपये (iii) औद्योगिक जल मीटर के लिए 2500.00 रुपये	सत्यापन शुल्क का (25%) पच्चीस प्रतिशत
2	रक्तचापमापी (Sphygmomanometer)	100.00 रुपये प्रति रक्तचापमापी	
3	क्लिनिकल थर्मामीटर	50.00 रुपये प्रति क्लिनिकल थर्मामीटर	
4	स्वचालित रेल वेब्रिज	राज्य सरकार के शुल्क के अनुसार	
5	मापन टेप (Tape measures)	(i) क्लास I: 2.00 रुपये प्रति मीटर या उसके भाग के लिए (ii) क्लास II: 1.00 रुपये प्रति मीटर या उसके भाग के लिए (iii) क्लास III: 0.50 रुपये प्रति मीटर या उसके भाग के लिए	
6	सटीकता वर्ग III के गैर-स्वचालित तौल उपकरण (150 किग्रा तक)	(i) 2000.00 रुपये (10 kg तक) (ii) 3000.00 रुपये (10 kg से अधिक और 150 kg तक)	
7	सटीकता वर्ग III के गैर-स्वचालित तौल उपकरण	(i) 2000.00 रुपये (10 kg तक) (ii) 3000.00 रुपये (10 kg से अधिक और 150 kg तक)	
8	लोड सेल	(i) 2000.00 रुपये (5 kN तक) (ii) 3000.00 रुपये (5 kN से अधिक और 100 kN तक)	
9	बीम स्केल	(i) 500.00 रुपये (5 kg तक) (ii) 1000.00 रुपये (5 kg से अधिक)	
10	काउंटर मशीन	(i) 500.00 रुपये (5 kg तक) (ii) 1000.00 रुपये (5 kg से अधिक)	
11	सभी श्रेणी के बाट	(i) E1 श्रेणी के लिए शुल्क : (A) 1 mg से 200 g (राइडर सहित 22 पीस): 15000 रुपये (B) मिश्रित बाट (प्रति बाट): (a) 1000.00 रुपये (10 kg तक) (b) 2000.00 रुपये (10 kg से 50 kg तक) (ii) E2 श्रेणी के बाटों का शुल्क E1 श्रेणी के निर्धारित शुल्क का आधा होगा (iii) F1 श्रेणी के बाटों का शुल्क E1 श्रेणी के निर्धारित शुल्क का एक चौथाई होगा (iv) F2 श्रेणी के बाटों का शुल्क E1 श्रेणी के निर्धारित शुल्क का एक आठवां होगा (v) बुलियन बाट (Bullion weights): (A) 1 g से 500 g: 25 रु. प्रति बाट (B) 500 g से ऊपर और 10 kg तक : 50 रु. प्रति बाट (vi) कैरेट बाट : 50 रु. प्रति बाट (vii) बेलनाकार नॉब प्रकार का बाट : (A) 1 g से 500 g: 10	सत्यापन शुल्क का (25%) पच्चीस प्रतिशत

		रु. प्रति बाट (B) 500 g से ऊपर और 10 kg तक : 25 रु. प्रति बाट (viii) शीट धातु बाट (बुलियन के अलावा): 1 mg से 500 mg: 25 रु. प्रति बाट (ix) लोहे के हेक्सागोनल, नॉब प्रकार के बाट और समांतर चतुर्भुज (parallelepiped) बाट: (A) 1 g से 500 g: 10 रु. प्रति बाट (B) 500 g से ऊपर और 10 kg तक : 25 रु. प्रति बाट (C) 10 kg से ऊपर और 50 kg तक : 50 रु. प्रति बाट (x) उच्च मूल्यवर्ग के बाट: (A) 50 kg से 1000 kg तक : 1000रु. (B) 1000 kg से ऊपर और 5000 kg तक : 1500 रु.	सत्यापन शुल्क का (25%) पच्चीस प्रतिशत
12	गैस मीटर	(i) घरेलू: 500.00 रु. (ii) वाणिज्यिक: 2000.00 रु. (iii) औद्योगिक : 5000.00 रु.	
13	ऊर्जा मीटर	(i) घरेलू: 1000.00 रु. (ii) वाणिज्यिक: 3000.00 रु. (iii) औद्योगिक : 5000.00 रु.	
14	नमी मीटर (Moisture meters)	2500 रु0	
15	वाहनों के लिए गति मीटर	15000 रु0	सत्यापन शुल्क का (25%) पच्चीस प्रतिशत
16	श्वास विश्लेषक (Breath analyzers)	2500 रु0	
17	बहु-आयामी मापक यंत्र	3600 रु0	
18	फ्लो मीटर (Flow meters)	(i) 100 mm तक : 5000.00 रु. (ii) 100 mm से ऊपर : 5000.00 रु. + प्रत्येक 25 mm² के लिए 1000.00 रु0	
19	पेट्रोल/डीजल डिस्पेंसर	रु.5000 प्रत्येक नोजल	
20	सीएनजी डिस्पेंसर	रु.10000 प्रत्येक नोजल	
21	एलपीजी डिस्पेंसर	रु.10000 प्रत्येक नोजल	
22	एलएनजी डिस्पेंसर	रु.10000 प्रत्येक नोजल	
23	हाइड्रोजन डिस्पेंसर	रु.10000 प्रत्येक नोजल	

राज्यपाल के आदेश से,
नर्मदेश्वर लाल,
प्रधान सचिव।

**DEPARTMENT OF AGRICULTURE
(WEIGHTS AND MEASURES/LEGAL METROLOGY)**

NOTIFICATION

The 6th October 2026

No.- W & M (Central Lab)-06/2026-538—Cabinet meeting held on 30-09-2026 in which agenda Item no.-03 Bihar Legal Metrology (GATC) Rule, 2026 was approved. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (2) read with clause (e) of section 53 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), and after consultation with the Central Government. The State Government hereby makes the Bihar Legal Metrology (GATC) Rule, 2026.

**CHAPTER-I
PRELIMINARY**

1. *Short title extent & commencement.*—

- (1) These rules may be called The Bihar Legal Metrology (GATC) Rules, 2026
- (2) They extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. *Definitions- In these rules, unless the extent otherwise requires-*

- (1) (a) “*Act*” means the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010);
- (b) “*State Government Approved Test Centre*” means a person including Manufacturer, Repairer and Dealer who has been approved by the State Government to undertake verification of weight or measure specified in these rules.
- (c) “*Principal Officer*” means the officer who is In-charge of State Government Approved Test Centre;
- (d) “*Schedule*” means a Schedule appended to these rules.
- (2) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in that Act.

CHAPTER-II

3. *Verification by State Government Approved Test Centre.*—

- (1) The Weights and Measures specified in the First Schedule shall either be verified by a State Government Approve Test Centre or by the Legal Metrology Officers who have been appointed under section 14 of the Legal Metrology Act, 2009.
- (2) Any person including Manufacturer, Repairer and Dealer may apply for verification of weights and measures according to the Legal Metrology (GATC) Rules, 2013 or such rules as may be amended by the Central Government.
- (3) All such State Government Approved Test Centre shall be under the complete control of State Government of Bihar.

CHAPTER-III

Approval of State Government Approved Test Centre

4. *General Provisions relating to State Government Approved Test Centre.*—

- (1) The list of recognized State Government Approved Test Centre shall be notified from time to time.
- (2) The State Government Approved Test Centre recognized under these rules shall carry out verification of weights or measures in accordance with the specification

as specified in these rules and according to the specifications given in the Legal Metrology (General) Rules, 2011 and as advised by Director, Legal Metrology from time to time.

- (3) State Government Approved Test Centre shall maintain the Standard Weights & Measures as specified in the Legal Metrology (General) Rules, 2011 and other instruments and equipments as advised by the Director of Legal Metrology or Controller of Legal Metrology, Bihar.

5. *Recognition of State Government Approved Test Centre.—*

- (1) Any person including Manufacturer, Repairer and Dealer desirous of obtaining recognition under these rules for carrying out verification of weights or measures specified herein shall submit an application to the Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Department of Agriculture or Controller of Legal Metrology, Bihar in the form specified in the Second Schedule.
- (2) The application shall be made only by the Principal Officer of the said laboratory.
- (3) (1) The Controller or Legal Metrology Officers authorised by him shall inspect the premises of the test center within seven (7) working days prior to making any recommendation for its approval, including the specification of its area of operation.
- (2) While making recommendation for approval a State Government Approved Test Centre, the Controller of Legal Metrology, Bihar shall consider the following :-
 - a) availability and accessibility of land and building;
 - b) adequacy of measuring equipments, testing facilities and other infrastructure;
 - c) availability of technically qualified man power;
 - d) the ability to provide efficient and timely service to customers;
 - e) shall get equipment verified periodically by secondary standard laboratory or any other agency determinable by Controller, Legal Metrology
 - f) the employees shall be trained in the institutions nominated by Controller of Legal Metrology, Bihar, the expenses of which shall be borne by the concerned GATC.
 - g) any other factor, which in the opinion of Controller of Legal Metrology, Bihar will affect proper functioning of State Government Approved Test Centre;
 - h) **conditions to set up;**
 - (i) non-standard weight or measure shall not be verified by the State Government Approved Test Centre.
 - (ii) State Government Approved Test Centre shall verify the weights and measures which are submitted with requisite fee of verification with an application indicate therein-
 - a) Name and full address of manufacturer or importer or dealer or user.
 - b) Location of the factory or premises in which such weight or measure is manufactured or imported or intended to be used.
 - c) Maximum and minimum capacity, 'e' or 'd' value, accuracy class of weight or measure, to be verified.

- (iii) After verification the State Government Approved Test Centre shall issue the certificate of verification.
- (iv) the certificate of verification shall remain valid for a period as specified in the Legal Metrology (General) Rules, 2011 and shall be reverified for such period on payment of prescribed fee.
- (v) Every State Government Approved Test Centre shall submit a statement of the number of weights and measures Verified to the State Government at the end of calendar year.
- i) **Qualifications** – The qualification of the principal officer or any of the employee of the State Government Approved Test Centre shall be as per the qualification as specified in the Legal Metrology (General) Rules, 2011 for a Legal Metrology Officer;
- j) **Experience**- The Principal officer or any of the employees of the State Government Approved Test Centre shall have working experience of at least three years in the field of Legal Metrology.
- (4) Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary of the Department of Agriculture, Bihar shall be the Competent Authority to approve the State Government Approved Test Centre who shall give such approval on the recommendation of the Controller of Legal Metrology, Bihar.
- (5) The competent authority shall grant approval under sub-rule (4), for one year and thereafter the same shall be renewed for a period not exceeding five years at a time.
- (6) The Controller of Legal Metrology shall issue a specific code number to each State Government Approved Test Centre for easy identification and records.
- (7) In case of non-fulfillment of the eligibility conditions the Controller of Legal Metrology shall reject the application within fifteen (15) working days and send a written notice to the applicant.
- (8) Any person aggrieved by the orders under sub-rule (7) may appeal within thirty (30) working days to the State Government.
- (9) The certificate of approval granted to any State Government Approved Test Centre may be suspended by the State Government if the Government Approved Test Centre fails to comply with any of the terms and conditions specified in these rules :
 Provided that no such suspension shall be made except after giving an opportunity to the Government Approved Test Centre the show cause against the proposed action:
 Provided further that the suspension shall be revoked on compliance of such terms and conditions.
- (10) The Controller or his authorised officer may visit the State Government Approved Test Centre as and when required and the Principal Officer shall permit inspections and render all assistance for the purpose including the production of records in respect of verification of weights and measures.
- (11) The Principal Officer shall submit a quarterly report to the Controller of Legal Metrology, Bihar regarding the weights and measures verified by them, the fee collected, time taken for each testing and such other relevant information, as may be required.

- (12) The Principal Officer, while verifying the weights and measures shall adopt the procedure laid down in the Legal Metrology (General) Rules, 2011.
- (13) The certificate of approval granted may be cancelled by the Controller if the circumstances are such that it cannot be reasonably expected to function properly as a State Government Approved Test Centre.
Provided that no certificate of recognition shall be cancelled without giving an opportunity of being heard.
- (14) Where the certificate of approval has been granted under sub-rule (4) or suspended under sub-rule (9) or cancelled under sub-rule (13), the Controller of Legal Metrology, Bihar shall ensure that the information of such action has been given to the concerned Legal Metrology Officers.
- (15) The competent authority shall require State Government Approved Test Centre to take out third party liability insurance sufficient to cover any claim for damage due to any lapses or violation of State Government instructions by such Government Approved Test Centre.

CHAPTER-IV

Certificate of State Government Approved Test Centre

6. **Duties of the Principal Officer.**—The principal officer of the test centre has the following responsibilities, namely:-

- (i) to establish and operate the test centre as an independent unit;
- (ii) to ensure that the staff of the test centre carry out their duties independently;
- (iii) to inform the Controller of Legal Metrology, Bihar of cessation of operation of test centre;
- (iv) to maintain the accuracy of testing equipment as per rules and directions issued from time to time.
- (v) to maintain proper record of testing and certificates issued by State Government Approved Test Centre.
- (vi) to record and redress grievances of customers in appropriate manner;
- (vii) to abide by the directions issued by Controller of Legal Metrology, Bihar from time to time,
- (viii) only weights or measures conforming to specification are stamped;
- (ix) verification stamps are adequately protected against fraudulent use;
- (x) the weights and measure received for verification and stamping should be returned by State Government Approved Test Centre after due verification within fifteen days.

7. **Fee for verification or re-verification.**—

- (1) The fee payable to test centre for verification or re-verification of weights or measures shall be as specified in the Fifth Schedule or as amended by the Central Government in Legal Metrology (GATC) Rules.
- (2) Every State Government Approved Test Centre shall have to deposit the share of the state as 25 % (twenty five percent) of the fee specified in the Fifth Schedule and additional fee as per Bihar Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2014 and its amendments within one week in specified head of the State Government Account by the Controller, Legal Metrology.
- (3) Every GATC shall have to deposit share of the state 25 % (twenty five percent) of the fee as specified in Vth scheduled collected for verification or re-

verification of in-situ instruments as per Bihar Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2014 within one week in specified head of the Government Account by the Controller, Legal Metrology.

- (4) Any weight or measure which on verification found to be incorrect and repairable shall be returned to the user for necessary repair and after repair the weight or measure may be accepted for verification on payment a verification fee afresh.

8. *Mark of verification.*—

- (1) The State Government Approved Test Centre after carrying out metrological evaluation of weight or measure and on being satisfied that the same conforms to specification laid down under the Act and rules made thereunder shall stamp the same and also issue a certificate of verification.
- (2) The verification mark shall contain the following particulars; namely :-
 - (i) the legend “BIH” and the code number assigned to the test centre in the upper half of semi-circle;
 - (ii) code letter for the quarter of the year and two digits for the year in the lower half of semi-circle.
- (3) A certificate of verification shall also be issued by the test centre as a proof of verification.
- (4) The test centre shall issue separate certificate of verification for each weight or measure, such that the certificate conforms to individual instrument.

9. *Inspection of records.*—Every State Government Approved Test Centre shall keep and retain records for five calendar years of evaluation of weight or measure carried out by them. These records shall be produced by the test centre before the Controller of Legal Metrology, Bihar or any officer authorized by him, as and when directed.

10. *Place of verification.*—The test centre shall undertake verification of weight or measure either in its authorized premises or within the territorial limits of the district, and may extend such verification to any part of the State in which the State Government Approved Test Centre operates.

11. *Supervision of State Government Approved Test Centre.*—The Controller or any other authorized legal metrology officer may visit the test centre from time to time to examine whether the State Government Approved Test Centre are being run in accordance with the prescribed procedures and instructions issued by the Government.

12. *Liability.*—The Principal Officer responsible for the test centre shall be liable to the Government for any loss, damage, legal claims.

13. *Contents of State Government Approved Test Centre certificate.*—Every certificate of approval issued by Government shall contain the following information-

- (1) (a) the number of the certificate;
- (b) name of weight and measure for which State Government Approved Test Centre has been approved;
- (c) the mark or code assigned to the State Government Approved Test Centre.
- (d) a brief statement about State Government Approved Test Centre.
- (e) the special conditions, if any;
- (f) period for which State Government Approved Test Centre approved;
- (g) range for verification of weight or measure;
- (h) contact number for consumer redressal.
- (2) Where any weight or measure is intended for a special use, the certificate of approval in relation to such weight or measure shall indicate the special use.

- (3) The Controller of Legal Metrology, Bihar shall cause the necessary action State Government Approved Test Centre certificate to be published in the Official Gazette.

14. *Mark to State Government Approved Test Centre.*—The mark assigned to the Government Approved Test Centre shall contain the State identification letters, namely, BIH, the last two digits of the year of the issue (for example, 11), the code number assigned to the State Government Approved Test Centre.

15. *Revocation of certificate of State Government Approved Test Centre.*—

- (1) A certificate of State Government Approved Test Centre may be revoked if the State Government is satisfied on the recommendation of the Controller of Legal Metrology, Bihar that the State Government Approved Test Centre approved, no longer complies with the provisions specified in the rules made under the Act, or specifically violates the directions given by Controller of Legal Metrology, Bihar from time to time:

Provided that no such certificate shall be revoked unless the holder of such certificate has been given an opportunity of showing cause against the proposed action.

- (2) Where the certificate of State Government Approved Test Centre has been revoked, the verification work shall be stopped by that State Government Approved Test Centre immediately:

Provided that where, on such inspection, it is found that the verification of any such weight or measure is conducted, the Controller of Legal Metrology, Bihar may by order, prohibit the use of such weight or measure and initiate other appropriate penal action.

- (3) Every order of revocation or suspension of certificate of approval shall be duly notified.

16. *Suspension of certificate of State Government Approved Test Centre.*—

- (1) A certificate of State Government Approved Test Centre for verification of specified weights and measures may be suspended by the State Government in the event of the omission or failure on the part of the holder of such certificate;

- (i) to verify the weights or measures in accordance to which the certificate relates, or
- (ii) verification not conforming to the rules or standards specified in the Act and rules made thereunder, or
- (iii) not complying with the conditions specified in the certificate:

Provided that no such suspension shall be made except after giving to the holder of the certificate an opportunity of showing cause against the proposed action.

- (2) Where any certificate has been suspended under sub-rule (1), the order of suspension shall not be vacated unless the omission or failure for which such suspension was made, has been complied with and the sum for compounding the offence has been deposited to the Government in the same form as prescribed for applying the State Government Approved Test Centre.

17. ***Renewal of Certificate.***—The approval granted to State Government Approved Test Centre may be renewed for a period not exceeding five years at a time subsequently by the Controller of Legal Metrology, Bihar subject to the satisfactorily functioning of the centre.
18. ***Fees for Applying for State Government Approved Test Centre of weights or measures to be deposited.***—
- (1) A fee of rupees one lakh per weight or measure and rupees Fifty Thousand as a security deposit shall be deposited by the applicant seeking approval for State Government Approved Test Centre.
 - (2) The fee shall be deposited either by demand draft or online payment mode or as specified by the Government.
 - (3) The same amount of fee for approval shall be payable for a period of one year in respect of each equipment at the time of renewal or recognition.
19. ***Expenditure on assessment or re-assessment or inspection of State Government Approved Test centre during the calendar year.***—All the expenses including transportation and accommodation, as per the entitlement of the officer(s) and in providing the facility and co-operation for the assessment or re-assessment or compulsory yearly inspection of State Government Approved Test Centre shall be borne by the applicant.
20. ***Compounding the offences.***—Where it is found that any State Government Approved Test Centre has contravened the provisions specified in sub-section (1) of section 48 may be compounded by a sum of rupees fifty thousand for the first offence and by a sum of rupees seventy five thousand for every subsequent contravention.

“First Schedule”

[See sub-rule (1) of rule 3]

Weights and Measures verified by the State Government Approved Test Centre

The following weights and measures shall be verified by State Government Approved Test Centre:

- | | |
|--|---|
| 1. Water meter | 12. Gas meters |
| 2. Sphygmomanometer | 13. Energy meters |
| 3. Clinical thermometer | 14. Moisture meters |
| 4. Automatic rail weighbridges | 15. Speed meters for vehicles |
| 5. Tape measures | 16. Breath analyzers |
| 6. Non-automatic weighing instruments of Accuracy Class III (upto 150kg) | 17. Multi-dimensional measuring instruments |
| 7. Non-automatic weighing instruments of Accuracy Class IIII | 18. Flow meters. |
| 8. Load cell | 19. Petrol/diesel dispenser |
| 9. Beam scale | 20. CNG dispenser |
| 10. Counter machine | 21. LPG dispenser |
| 11. Weights of all category | 22. LNG dispenser |
| | 23. Hydrogen dispenser |

Second Schedule

(See sub-rule (1) of rule 5)

Application for Approval of State Government Approved Test Centre

- (1) Full name and complete address of the applicant;
- (2) Name of the weight or measure for which State Government Approved Test Centre has been applied;
- (3) Experience detail in the relevant field of the applicant;
- (4) Detail of the organizational structure;
- (5) Qualification of Principal Officer and other technical staff;
- (6) Detail of the standards available and other testing facilities available with the applicant/centre;
- (7) Copy of the Quality management system of the laboratory, if available;
- (8) Details of the Demand Draft;
- (9) Jurisdiction/area for which application is made;
- (10) Consumer complaint number.

Third Schedule [See rule 8]

Certificate of verification

Government Approved Test Centre (Name and Address)

No

Name of the Officer

I hereby certify that I have this day verified and stamped / rejected the under mentioned weights, measurers, etc.

Belonging to Locality

Quantity	Denomination		Weighing instruments				Measuring instruments	Verification Fee Rs. P.	Carriage conveyance adjusting charges etc.
	Weight	Measures	Capacity	Class	Manufacturer	Type			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Total Rs deposited vide Money receipt No. dated

Repaired by/ Used by

..... (Signature)

Next verification due on

Principal Officer

Note:- In the case of rejected weights, measures, etc. the principal officer shall give separate Certificate of rejection mentioning the reasons of rejection against each item.

Fourth Schedule [See rule 14]
Certificate of State Government Approved Test Centre
Government of Bihar
Controller of Legal Metrology
Certificate of Approval of State Government Approved Test Centre [Under Section 24 of the
Legal Metrology Act, 2009]

No. WM-.... (1)/2026 Dated Patna- 2026

Certify that M/s..... (name and address of State Government Approved Test Centre) has been approved as State Government Approved Test Centre for (name of place/ district) for the verification of following weights and measures with their ranges:

(i).....(ii).....(iii).....
Certificate No: GOI/ STATE GOVERNMENT
 APPROVED TEST CENTRE/..... (two digits of the State Code)/ 2013/

Valid up to:

Controller of Legal Metrology

Copy to: Legal Metrology Officers, Bihar, for kind information.

Note: In case of consumer complaint please contact"

“Fifth Schedule”

[See sub-rule (1) of rule 7]

Fee payable to test centre for verification or re-verification

Sl. No	Item	Verification fees (in Rs.../-)	Share of the state
1.	Water meter	(i) Rs. 250.00 for domestic water meter (ii) Rs. 1000.00 for commercial water meters (iii) Rs. 2500.00 for industrial water meters	25 % (twenty five percent) of the verification fee.
2.	Sphygmomanometer	Rs. 100.00 per sphygmomanometer	
3.	Clinical thermometer	Rs. 50.00 per clinical thermometer	
4.	Automatic rail weighbridges	As per State Government fees	
5.	Tape measures	(i) Class I : Rs. 2.00 per meter or part thereof (ii) Class II : Rs. 1.00 per meter or part thereof (iii) Class III: Rs. 0.50 per meter or part thereof	
6.	Non-automatic weighing instrument of Accuracy Class III (upto 150kg)	(i) Rs. 2000.00 upto 10kg (ii) Rs. 3000.00 above 10 kg and upto 150 kg	
7.	Non-automatic weighing instruments of Accuracy class III	(i) Rs. 2000.00 upto 10kg (ii) Rs. 3000.00 above 10 kg and upto 150 kg	

8.	Load cell	(i) Rs. 2000.00 upto 5kN (ii) Rs. 3000.00 above 5kN and upto 100 kN	
9.	Beam scale	(i) Rs. 500.00 upto 5kg (ii) Rs. 1000.00 above 5 kg	
10.	Counter machine	(i) Rs. 500.00 upto 10kg (ii) Rs. 1000.00 above 5 kg	
11.	Weights of all category	(i) Fees for E ₁ class : (A) 1mg to 200g (22 pieces including rider) : Rs. 15000 (B) Assorted weights (per weight): (a) Rs. 1000 upto 10kg (b) Rs. 2000 above 10kg upto 50kg (ii) Fees for E ₂ class weights will be one half the fees specified for E ₁ class weights (iii) Fees for F ₁ class weights will be one fourth the fees specified for E ₁ class weights (iv) Fees for F ₂ class weights will be one eighth the fees specified for E ₁ class weights (v) Bullion weights: (A) 1g to 500 g: Rs. 25 per weight (B) Above 500 g to 10 kg: Rs. 50 per weight (vi) Carat weights: Rs. 50 per weight (vii) Cylindrical knob type weight : (A) 1g to 500 g: Rs. 10 per weight (B) Above 500 g to 10 kg: Rs. 25 per weight (viii) Sheet metal Weight (other than Bullion) : 1 mg to 500 mg: Rs. 25 per weight (ix) Iron hexagonal, knob type weights and parallelepiped weight: (A) 1g to 500 g: Rs. 10 per weight (B) Above 500 g to 10 kg: Rs. 25 per weight (C) Above 10kg to 50 kg: Rs. 50 per weight (x) Higher denomination weights: (A) Above 50 kg to 1000 kg: Rs. 1000 (B) Above 1000 kg to 5000 kg: Rs. 1500	
12.	Gas meters	(i) Domestic: Rs. 500.00 (ii) Commercial: Rs. 2000.00	

25 % (twenty five percent) of the verification fee.

		(iii) Industrial : Rs. 5000.00	25 % (twenty five percent) of the verification fee.
13.	Energy meters	(i) Domestic: Rs. 1000.00 (ii) Commercial: Rs. 3000.00 (iii) Industrial : Rs. 5000.00	
14.	Moisture meters	Rs. 2500	
15.	Speed meters for vehicles	Rs. 15000	
16.	Breath analyzers	Rs. 2500	
17.	Multi-dimensional measuring instruments	Rs. 3600	25 % (twenty five percent) of the verification fee.
18.	Flow meters	(i) Upto 100mm : Rs. 5000.00 (ii) Above 100mm : Rs. 5000.00 + Rs. 1000.00 for every 25mm ² .	
19.	Petrol/diesel dispenser	Rs. 5000.00 each nozzle	
20.	CNG dispenser	Rs. 10000.00 each nozzle	
21.	LPG dispenser	Rs. 10000.00 each nozzle	
22.	LNG dispenser	Rs. 10000.00 each nozzle	
23.	Hydrogen dispenser	Rs. 10000.00 each nozzle	

By Order of the Governor of Bihar,
NARMDESHWAR LAL,
Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1262—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>